भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
Govt. of India, Ministry of Science & Technology, Deptt of Science & Technology

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA
जम्मू व कश्मीर भू–स्थानिक आंकडा केन्द्र ;उत्तरी क्षेत्राद्ध
J & K GEO-SPATIAL DATA CENTRE (NZ)

गोल्फ कोर्स रोड,
नगरोटा, जम्मू – 181 221 (जम्मू व कश्मीर)
Golf Course Road,
Nagrota, JAMMU– 181221 (J&K)
फैक्स Fax : 0191 -2674884
दूरभाष Telephone : कार्यालय Office: 2674991
ई–मेल e-Mail : jk.gdc.soi@gov.in

सं0 No. - 923 /18-ए-5/Pension Revision   दिनांक Dated: 22/07/2016

सेवा में

भारत के महासर्वेक्षक,
भारतीय सर्वेक्षण विभाग,
देहरादून।

विषय : पैंशन अदालत का कार्यवृत।

भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून के पत्र सं.ब–15453/1117–रूल्स दिं. 06–12–2010 एवं ब–456/1117–रूल्स दिं. 09–02–2015 में निहित निर्देशों के अनुपालन में पेंशन–भोगियों (Pensioners) की शिकायतों (Gievances) का निपटान/निस्तारण करने के लिए जम्मू व कश्मीर भू–स्थानिक आंकड़ा केन्द्र के दिं.11–07–2016 के कार्यालय आदेश सं.74/18–ए–5(पेंशन रिविजन) के अन्तर्गत निदेशक महोदय के चैंबर में सदस्यों की गठित समिति ने अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में वर्ष 2016–2017 हेतु समिति ने पैंशन अदालत का आयोजन दिं. 21 जुलाई 2016 (पूर्वाहन) को 10 बजे गोल्फ कोर्स रोड नगरोटा, जम्मू स्थित कार्यलय में किया।

1. श्री प्रदीप सिंह, अधीक्षक सर्वेक्षक (निदेशक) (अध्यक्ष)
2. श्री महेश्वर सिंह, कार्यालय अध्यक्ष,जम्मू व कश्मीर, भू–स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, नगरोटा, जम्मू (सदस्य)
3. श्री देव राज, सहायक (सदस्य)
4. श्री बी.एल. स्वामी, सहायक लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय (सदस्य)
5. श्री विजय कुमार गिड़वानी, वरिष्ठ एकाउंटेंट , क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय (सदस्य)

पैंशन अदालत में निम्नलिखित मामलों पर चर्चा/विचार किया गया तथा पैंशन अदालत में पैंशन एवं पैंशन से संबंधित मामलों का निम्नानुसार निपटारा किया गया तथा पैंशन अदालत में की गई कार्यवाही आपको सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत है :–

कृ.पृ.——2/

1 श्री बन्सी लाल भोला, अधिकारी सर्वेक्षक (सेवा निवृत) विमार होने के कारण कार्यालय में उपसिथित नहीं हो सके परन्तु श्री भोला ने दि॰ 01–01–2006 से पैंशन की गनणा जोकि आखरी वेतन को (1.86x40%) से गुणा हुआ है को आखरी वेतन को (1.86x50%) से गुणा के आधार पर पैंशन पाने हेतु आवेदन किया था के संबंध में पुनः मौखिक अनुरोध किया, जिस पर श्री विजय कुमार गेहूवानी, वरिष्ठ एकाउंटेंट वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा श्री बन्सी लाल भोला को स्वंय फोन कर उपरोक्त से संबंधित गणना के बारे में Ministry of Personnel, PG & Pension, Deptt. of Pension & Pensioners Welfare O.M. dt. 28-01-2013 के के आदेशों अनुसार आपको इस समय सही पैंशन प्राप्त हो रही है। इस मामले पर श्री बन्सी लाल भोला, सहमत हो गऐ और मामले का निपटान हो गया।

2 श्री आर॰एस॰ सम्याल, मुख्य मानचित्रकार (सेवा निवृत) जो पैंशन अदालत में स्वंय उपस्थित हुऐ और उन्होंने क्षेत्रीय वेतन कार्यालय से आऐ अधिकारियों से मौखिक तौर पर सी॰जी॰एच॰एस॰ में शामिल होने के लिए अनुरोध किया, जिसके लिए अधिकारियों ने श्री आर॰एस॰ सम्याल, मुख्य मानचित्रकार को लिखित रूप में आवेदन करने हेतु अनुरोध किया और श्री आर॰एस॰ सम्याल, मुख्य मानचित्रकार ने पुनः कहा की लिखित रूप में आवेदन बाद में करूंगा।

3 श्री अशोक कुमार मेहरा, मानचित्रकार डिव–। (सेवा निवृत) जो पैंशन अदालत में स्वंय उपस्थित हुऐ और उन्होंने क्षेत्रीय वेतन कार्यालय से आऐ अधिकारियों से मौखिक तौर पर सी॰जी॰एच॰एस॰ में शामिल होने के लिए अनुरोध किया, जिसके लिए अधिकारियों ने अशोक कुमार मेहरा, मानचित्रकार डिव–। को लिखित रूप में आवेदन करने के लिए कहा और अशोक कुमार मेहरा, मानचित्रकार डिव–। ने कहा की लिखित रूप में आवेदन बाद में करूंगा।

4 श्री बलकार नाथ, पटल चित्रक वर्ग–।। के वेतन निर्धारण की विसंगतीयों को दूर करने हेतु वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा, जयपुर के अधिकारियों से कार्यालय अध्यक्ष से वातचीत हुई, वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा, जयपुर के अधिकारियों ने कार्यालय अध्यक्ष को अन्य संबंधित कर्मचारी की सेवा पंजिका प्राप्त करने हेतु पत्राचार करने को कहा ताकि श्री बलकार नाथ, पटल चित्रक वर्ग–।। के वेतन की विसंगतीयों को दूर करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

5 श्रीमति सुतापा दास, पत्नी स्र्व. श्री शामिक कुमार दास से संबंधित हेल्डअप ग्रैचुटी की राशि रू॰100,000/– जारी करने के संबंध में श्रीमति सुतापा दास, पत्नी स्र्व. श्री शामिक कुमार दास से वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा, जयपुर के अधिकारियों ने दूरभाष पर वार्तालाप की और उनसे अदेयता (NoDue) प्रमाण पत्र शीघ्र इस कार्यालय को भेजने का अनुरोध किया ताकि हेल्डअप ग्रैचुटी की राशि जारी की जा सके।

कृ॰पृ॰——3/

6 **क्षे॰वे॰एवं ले॰अ॰ जयपुर के अधिकारियों ने पैंशन अदालत में सेवा निवृत कर्मचारियों तथा पारिवारिक पैंशन से संबंधित केस भेजने पर विचार विर्मश और निम्नलिखित सुझाव दिऐ।**

1 कम्यूटेंशन आफ पैंशन (फार्म 1–ए) को मुख्य पैंशन केस के साथ ही भेजना आवश्यक है।
2 पैंशन केस के साथ पैंशनर्स के तीन फोटो भेजना आवश्यक है।
3 फार्म–3 पर कर्मचारी का परिवारिक सदस्यों का व्यौरा, उनकी पत्नी पुत्र, पुत्री, माता–पिता के नाम और जन्म तिथि लिखना आवश्यक है तथा भविष्य में इस फार्म पर कोई भी सुधार करना हो तो कर्मचारी द्वारा कार्यालय को लिखित सूचना देनी होगी तभी पैंशन का लाभ मिलेगा।

पैंशन अदालत सुबह 10.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक जारी रही तथा अन्य कोई बिन्दु नहीं होने के कारण बैठक का समापन अध्यक्ष की अनुमति से किया गया।

(प्रदीप सिंह)
निदेशक
जम्मू व कश्मीर जी॰डी॰सी॰, जम्मू
(सामायक आधार)

प्रतिलिपि :

1 अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ।
2 वरिष्ठ क्षे॰वे॰ एवं ले॰ अ॰ जयपुर को सूचनार्थ।
3 वेबसाईट एडमिन को ई–मेल द्वरा अपलोड करने हेतु अनुरोध है। – uploaded